

218
4-35

उत्तराखण्ड शासन

शहरी विकास अनुभाग-3

संख्या-119 /IV(3)/2018-09(06)/2014

देहरादून: दिनांक 10 जनवरी, 2018

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तराखण्ड "उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916" (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या वर्ष 1916 उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ सपठित "भारत का संविधान" के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके जिला देहरादून के नगर पालिका परिषद डोईवाला के प्रादेशिक क्षेत्र में नीचे अनुसूची एक में उल्लिखित क्षेत्रों को सम्मिलित किये जाने एवं अनुसूची दो में उल्लिखित क्षेत्र को पृथक करने के उद्देश्य से अनन्तिम अधिसूचना संख्या-2694 /IV(3)/2017-09(06)2014, दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् संविधान के अनुच्छेद 243थ के खण्ड (2) के अधीन अधिसूचित करते हैं कि नीचे अनुसूची एक में विनिर्दिष्ट क्षेत्र नगर पालिका परिषद, डोईवाला जनपद देहरादून का प्रादेशिक क्षेत्र होगा तथा अनुसूची दो में उल्लिखित क्षेत्र नगर पालिका परिषद डोईवाला का प्रादेशिक क्षेत्र नहीं होगा:-

अनुसूची-एक

क. सं.	ग्रामसभा	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)	जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या
1	कान्हरवाला	संगतियावाला खुर्द	66.656	580

अनुसूची-दो

क. सं.	ग्राम सभा	राजस्व ग्राम	क्षेत्रफल (हे० में)	जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार	हटाये जाने वाले मजरे का नाम
1	मरखमग्रांट	मारखमग्रांट प्रथम	434.84	3923	मजरे-धर्मूचक, खैरी प्रथम, खैरी द्वितीय, खत्ता आंशिक, छिदम्मीवाला, बाजावाला आंशिक

(नितेश कुमार झा)
सचिव।

✓

संख्या— (1)/IV(3)/2018-09(06)/2014, तददिनांक।

प्रतिलिपि—निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50-50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)

अपर सचिव।

संख्या 119 (2) IV(3)/2018.09(06)/2014, तददिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

1. महालेखाकार लेखा एवं हकदारी उत्तराखण्ड।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड।
3. सचिव, पंचायतीराज, उत्तराखण्ड शासन।
4. आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, देहरादून।
5. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड शासन।
6. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, कुमाऊं/गढ़वाल मण्डल।
8. समस्त जिलाधिकारी उत्तराखण्ड।
9. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार जिला देहरादून में व्यापक रूप से होता हो।
10. अधिशासी निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. वित्त आयोग, प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
12. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर।
13. अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद डोईवाला।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विनोद कुमार सुमन)

अपर सचिव।